प्र० अ० न्या०न्या०

05.09.2020

अभिलेख सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया, तथा अभियुक्त श्याम मेहता की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया, बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता सकील अहमद न्यायालय में प्रस्तुत हुए, विद्वान स०लो०अ० उमेश कुमार न्यायालय में उपस्थित हुए, बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है, कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल ही निर्दोष है। तथा इन्हें गाँव के गन्दी राजनीति के तहत फँसाया गया है, प्रार्थी अभियुक्त दिनांक-31.08.2020 से उपकारा बीरपुर में संसीमित है, उभय पक्ष की ओर से राजीनामा आवेदन दाखिल किया गया। जो अभिलेख के साथ संलग्न है। लगातार

रतनपुरा : 159/2020
G.R.:-1646/2020

लगातार
08.09.2020

द्वारा अभियुक्त संजीव कुमार शर्मा की ओर से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्रीआनंद मिश्र का कहना है, कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल ही निर्दोष है, तथा गलत ढंग से प्रार्थी अभियुक्त को फँसाया गया है। सूचक एवं ग्रामीणों के गलत-फहमी के कारण फँसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक- 31.08.2020 से उपकारा बलिया में संसीमित है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उभय पक्षों के बीच मेल व सुलह हो गया है, जो प्रार्थी अभियुक्त का हस्ताक्षर है, तथा अधिवक्ता का हस्ताक्षर है, अभिलेख के साथ सुलहनामा आवेदन संलग्न है।

विद्वान स०लो०अ० उपेन्द्र कुमार बचाव पक्षों को सुना, उभय पक्षों के बीच मेल व सुलह हो गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है, कि अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-356, 379 भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज है, धारा-379 भा०द०वि० सुलहनीय एवं आरोप स्पष्ट है, धारा-356 भा०द०वि० जमानतीय है। प्रार्थी अभियुक्त तथा उभय पक्ष की बीच सुलह हो गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित समझता हूँ। अतः अभियुक्तों को इस शर्त पर कि वे धारा-437(3) Cr.P.C. एवं अभियुक्त के विरुद्ध इस केस में कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है ~~आपराधिक इतिहास~~ का अंडरटेकिंग दाखिल करने पर मो०-10,000/-×2 एवं समान राशि के 2 प्रति जू-ओं के साथ जमानतदार देने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश किया जाता है। लेo

रतनपुरा:-59/2020
9.R:-646/2020

पश्चात
05.09.2020

उपरोक्त तथ्यों एवं आदेशानुसार द्वारा अभियुक्त श्याम मेहता तथा संजीव कुमार शर्मा की ओर से शपथ-पत्र के साथ बंध-पत्र, 437(3) Cr.P.C. ~~आपराधिक इतिहास~~ का अंडरटेकिंग दाखिल किया गया, जिसे नियमानुसार सही पाकर स्वीकृत किया जाता है। O/C मुक्ति आदेश निर्गत करे। ह०

प्र० अनु० दं० मा०